UPHM010018742026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code– UP06459

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–878/2026

1. गोलू उर्फ संजीव मिश्रा, उम्र 25 वर्ष पुत्र सुशील मिश्रा

2. सुशील मिश्रा उम्र 50 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल निवासीगण ग्राम इटैलियाराजा, थाना चिकासी, जिला हमीरपुर उ०प्र०। **.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ।**

बनाम

राज्य सरकार

.....अभियोजक ।

मु०अ०सं०-06/2026
धारा- 352, 351(3) बी०एन०एस०
व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट,
थाना- चिकासी, जिला-हमीरपुर

05.08.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **गोलू उर्फ संजीव मिश्रा व सुशील मिश्रा** उपरोक्त की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना, मु०अ०सं०–06/2026, धारा- 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना– चिकासी, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में दिया गया है। उक्त मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने स्वेच्छया से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया मुकदमा क्रांति पुत्र रामनाथ जाति धोबी ग्राम इटैलिया राजा, थाना चिकासी जनपद हमीरपुर की निवासिनी है। दिनांक 19.01.2026 को शाम करीब 06:00 बजे जब उसके घर पर कोई नहीं था वह और उसकी छोटी बहन प्रांसी थी, तभी अचानक गोलू उर्फ संजीव मिश्रा पुत्र सुशील मिश्रा उसके घर आया और हाथ में देशी तमंचा लिए हुए था और कहने लगा कि जो वह कहता है तुम सब अपने पापा को बता देती हो, किसी दिन उसके पूरे घर को गोली मार देंगे और उसका हाथ पकड़कर अन्दर खींचने लगा, उसकी बहन आ गई और चिल्लाने लगी तो गोलू भाग गया। जैसे ही उसके पिता जी घर आए उसने उन्हें बताया तो उसके पिता गोलू के पिता जी से कहने गए तो उल्टा सुशील उसके पिता जी को जातिसूचक गालियां देने लगा। उपरोक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वे निर्दोष है, रंजिश की वजह से झूंठे फंसाए गए है। उनके विरुद्ध धारा–352, 351(3) बी०एन०एस का अपराध नहीं बनता है, धारा–352, 351(3) बी०एन०एस० जमानतीय अपराध है। पीड़िता कुमारी क्रान्ति ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस में यह बयान दिया है कि संजीव मिश्रा उसके घर के अन्दर कोई नहीं घुसा, उसे धोखा हो गया था। इसलिए उसने उसके नाम रिपोर्ट लिखा दी थी। घटना के 2 साल पहले मुल्जिम संजीव से लड़ाई हुई थी, तो उसे धोखा हो गया कि शायद बदला लेने आया हो, उसके साथ कोई अपराध नहीं कारित हुआ है और न ही संजीव ने उसके साथ कोई अपराध किया और न ही किसी और ने किया। मुल्जिम सुशील मिश्रा, संजीव उर्फ गोली के पिता है। पीड़िता के बयान धारा–183 बी०एन०एस०एस में मुल्जिम सुशील मिश्रा के ऊपर कोई घटना कारित करना नहीं कहा गया है। उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.08.06 10:32:36 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी को नोटिस तामील है, वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया ।

मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण गोलू उर्फ संजीव मिश्रा व सुशील मिश्रा पर दिनांक 19.01.2026 को समय करीब 06:00 बजे शाम, मकान वादिया, बहद ग्राम इटैलिया राजा, थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर में अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा क्रान्ति के पिता को जातिसूचक शब्द से अपमानित करते हुए गाली–गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने स्वेच्छया से आत्मसमर्पण किया है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की **एस.एल.पी.(क्रि) नं0- 5191/ 2021 सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सी.बी.आई.** के अनुक्रम में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर थे। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है ।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **गोलू उर्फ संजीव मिश्रा व सुशील मिश्रा** उपरोक्त की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना, मु०अ०सं०–06/2026, धारा– 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना– चिकासी, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 20,000–20,000/– (बीस–बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाये ।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण आरोप विरचन तथा बयान अभियुक्तगण के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।
5. यदि अभियुक्तगण जमानत के शर्तों का उल्लंघन करता है तो अभियोजन अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

दिनांक 05.08.2026

(रनवीर सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट),
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP06459)